न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः पर्वतसिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः 15/2018
उनवान मुकदमा

1. श्री विठला पिता श्री देवा, जाति सरगड़ा, निवासी श्रीराम कॉलोनी, तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) के वारसान
   1/1 श्रीमती सूरज बेवा स्व. श्री विठला उम्र वयस्क जाति सरगड़ा, निवासी श्रीराम कॉलोनी, तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
   1/2 सुश्री हिमानी पुत्री श्री विठला, उम्र 10 वर्ष, नाबालिग बजरिये वालिया/माता श्रीमती सूरज बेवा स्व. श्री विठला उम्र वयस्क जाति सरगड़ा, निवासी श्रीराम कॉलोनी, तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
   1/3 सुश्री काजल पुत्री श्री विठला, उम्र 8 वर्ष, नाबालिग बजरिये वालिया/माता श्रीमती सूरज बेवा स्व. श्री विठला उम्र वयस्क जाति सरगड़ा, निवासी श्रीराम कॉलोनी, तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
   1/4 श्री तनवीर पुत्री श्री विठला, उम्र 10 वर्ष, नाबालिग बजरिये वालिया/माता श्रीमती सूरज बेवा स्व. श्री विठला उम्र वयस्क जाति सरगड़ा, निवासी श्रीराम कॉलोनी, तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
2. श्री जीवा पिता श्री देवा जाति सरगड़ा निवासी श्रीराम कॉलोनी, तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मडिया पिता श्री बदिया, जाति सरगड़ा निवासी श्रीराम कॉलोनी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
2. श्री रतना पिता श्री बदिया, जाति सरगड़ा निवासी श्रीराम कॉलोनी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
3. श्री नाथू पिता श्री बदिया, जाति सरगड़ा निवासी श्रीराम कॉलोनी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
4. श्री केशु पिता श्री बदिया, जाति सरगड़ा निवासी श्रीराम कॉलोनी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
5. श्री रमेश पिता श्री बदिया, जाति सरगड़ा निवासी श्रीराम कॉलोनी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
6. श्रीमती विठली पत्नी श्री बदिया, जाति सरगड़ा निवासी श्रीराम कॉलोनी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
7. रमणलाल पिता श्री थावरचन्द, जाति सरगड़ा निवासी श्री राम कॉलोनी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. राजेन्द्र पिता श्री थावरचन्द, जाति सरगड़ा निवासी श्री राम कॉलोनी, तहसील व जिला बांसवाड़ा(राज.)
9. गोपाल पिता श्री थावरचन्द, जाति सरगड़ा निवासी श्री राम कॉलोनी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
10. तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा व जिला बांसवाड़ा (राज.)

अप्राथीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>प्रार्थीगण वकील : श्री शादीद खा</u>
<u>अप्रार्थीगण अधिवक्ता : श्री यशपाल गुप्ता, श्री राकेश पाटीदार</u>

आदेश

दिनांक :–26–03–2021

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा के तत्काल आदेश बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2018 को पेश किया। जिसकी प्रति अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के संयुक्त आधिपत्य का खाता संख्या नया 80 पुराना 91 के खेत खसरा संख्या 175 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 176 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा , खसरा नम्बर 177 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, कुल खसरा 3 कुल रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा कुल लगान 5.58 पैसा गांव भवनपुरा पटवार हल्का ठिकरिया तहसील व जिला बांसवाड़ा में स्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 सहखातेदार है। उक्त खाते की कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 7 से 9 के दादा श्री नाथिया पिता हीरा तथा स्व. श्रीमती विठली के ससुर एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के दादा श्री वक्ता पिता हीरा, जो दोनों सगे भाई [illegible] होकर काश्त करते चले आ रहे थे। श्री नाथिया के फौत होने पर उनके पुत्र थावरा, जो कि प्रति[illegible] 7 से 9 के पिता थे व श्री देवा जो कि वादीगण के पिता थे तथा श्री वक्ता के [illegible] बदिया [illegible] कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता स्व. श्रीमती विठली के पति थे, उक्त भूमि पर [illegible] श्री देवा तथा [illegible]या भी फौत हो चुके है। उनके फौत होने पर वादीगण व प्रतिवादीगण संयु[illegible] रूप से उक्त खाते की [illegible] भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे, एवं राज्य सरकार में संयुक्त रूप से लगान भी अदा कर रहे है। श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.06 17:52:02 IST
Reason: SelfAttested

नाथीया पिता हीरा तथा श्री वक्ता पिता हीरा दोनों सगे भाईयों ने उक्त खेतों को सुधार कर कृषि भूमि को खेती योग्य बनाया। उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के दादा श्री वक्ता पिता हीरा ने वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 से 9 के दादा श्री नाथीयास पिता हीरा को बिना जानकारी दिए एवं बिना किसी प्रकार की सूचना के बेक ऑफ पार्टी बाला बाला पटवार व कानूनगो से मिलकर अपने नाम नामान्तरित करवा ली जबकि श्री नाथीया भी श्री वक्ता के साथ सहकाश्तकार के रूप में संयुक्त काश्त करता चला आ रहा है एवं लगान भी अदा कर रहे है।

प्रतिवादी संख्या 7 से 9 ने वादीगण को बिना जानकरी दिए एवं बिना किसी प्रकार की सूचना के बेक ऑफ पार्टी न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादीगण को पक्षकार बना बिना तथा उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण के हित व हिस्से को समाप्त करने उद्देश्य से धोखे से डिक्री प्राप्त कर जरीये नामान्तरकरण संख्या 742 दिनांक 18.06.2015 से बाला बाला अपने नाम नामान्तरित करवा ली।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 उपर्युक्त कृषि भूमि के बराबर हक व हिस्से के अधिकारी है तथा वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 उक्त खाते का विभजन कर मौके पर पूर्वजों के समय से काश्त करते चले आ रहे है एवं वर्तमान में भी काबिज होकर फसल प्राप्त कर रहे है।

वाद का व्यवहार कारण प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से दो माह पूर्व वादीगण के साथ विभाजन बाबत झगड़ा करने व वादीगण की बिना जानकारी दिए बेक ऑफ पार्टी नामान्तरकरण संख्या 742 दिनांक 18.06.2015 खुलवा देने के कारण वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है।

प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत अंत तक के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा परित फरमावे की वह वाद चलने के दौरान उपर्युक्त खसरा नम्बर के खेतों में अन्यत्र की किसी भी तरह से हस्तांतरण नहीं करे, बेचान, मोगेज, रहन, दान, वसीयत नहीं करे और ना ही प्रार्थीगण को उक्त कृषि से बेदखल करे।

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की ओर से दिनांक 03.03.2020 को प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत हुआ। जिसमें बताया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01, 02, 06 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 03 में वर्णित कथन कि उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के दादा श्री वक्ता पिता हीरा ने वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 7 से 9 के दादा श्री नाथीया पिता हीरा को बिना जानकारी दिए एवं बिना किसी प्रकार की सूचना के बेक ऑफ पार्टी बाला बाला पटवार व कानूनगो से मिलकर अपने नाम नामान्तरित करवा ली अस्वीकार है। वादी पत्र की चरण सख्या 03 के शेष तथ्य तथा वर्णित वंशावली स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 05 में वर्णित तथ्य कि वादीगण ने उक्त आराजीयात का विभाजन करने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो आजकल बहाना बनाकर टालमटोल करते है जिस पर वादीगण ने उक्त आराजीयात का बराबर विभाजन करने हेतु भांजगड़ा भी किया तो प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के साथ आकर वादीगण का नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा देने का आश्वासन दिया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 9 शान्तिपूर्वक काश्त में वादीगण को रूकावट व बाधा उत्पन्न कर रहे है जिससे वादीगण को असीम क्षति हो रही है अस्वीकार है। शेष संपूर्ण तथ्य स्वीकार है। वादीगण को उक्त आराजीयात में नियमानुसार हिस्सा दिया जावे तो प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 कोई आपत्ति नहीं है। वादीगण का उपर्युक्त वर्णित आराजीयात में विधिअनुसार हिस्सेदार घोषित कर मीट्स एन्ड बाउन्ड्स के आधार पर बंटवारा कर दिया जावे तो प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को कोई आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थीगण संख्या 7 से 9 की ओर से दिनांक 08.09.2020 को प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत हुआ। जिसमे बताया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7 अस्वीकार है। उपर्युक्त कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी में नहीं है। उक्त भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 का हक व अधिकार है। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्व में राजस्व रेकॉर्ड नाथिया व वक्ता के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज था एवं वक्ता के खाते में अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 बदिया के वारिसान का हक व अधिकार दर्ज हुआ एवं नाथिया ने दो शादिया की एक पत्नी का नाम श्रीमती कडवी व दूसरी पत्नी का नाम हाकर था। श्रीमती कडवी के नुत्फे से थावरचंद का जन्म हुआ एवं श्रीमती हाकर से देवा उर्फ देवचंद का जन्म हुआ एवं देवचंद घर–जमाई होकर के अपने ससुराल जोखिया पिता गागा सरगडा के वहा बचपन से रहा एवं कभी भी उक्त भूमि पर काश्त नही की एवं नाथिया के समय से जोखिया के वहॉ रहने लगा। अतः प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में प्रार्थी का यह कथन कि वह सह खातेदार है उक्त कथन मनगढंत व मिथ्या है तथा आराजी सर्वे नम्बर 175, 176 व 177 कुल रक[illegible] 3 बिस्वा पूर्व में नाथिया पिता हीरा के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी तथा प्रतिवादी सं[illegible] 01 से 06 के दादा वक्ता पिता हीरा के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी। यह बात [illegible] नाथि[illegible] व वक्ता/हीरा दोनों भाई थे एवं संयुक्त रूप से काश्त करते थे। यह भी स्वीकार [illegible] होने पर उसका पुत्र थावरा उर्फ थावरचंद अप्रार्थी संख्या 07 से 09 के पिता बदिया एवं बदिया की मृत्यु पर अप्रार्थीगण काश्त करते है। यह सत्य है कि थावरा, देवा व बदिया फौत हो चुके है लेकिन उपर्युक्त पर प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार नही है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.06 17:52:02 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण संख्या 01 से 09 संयुक्त रूप काश्त करते चले आ रहे है, एवं लगान अदा करते है। वस्तुस्थिति यह है कि देवा उर्फ देवचंद जो कि नाथिया पिता हीरा का पुत्र है जो कि जोखिया के यहां घर–जमाई बनकर रहा और उसे जोखिया की आराजी सर्वे नम्बर 97 रकबा 0.13 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 30.11.1972 को इन्द्राज हुआ एवं 50 वर्ष से अधिक समय से उक्त भूमि पर काबिज हुआ, इसलिए देवा का स्वामित्व व अधिकार उक्त भूमि में नहीं है। प्रार्थी का यह कथन कि, प्रार्थीगण की जानकारी के बिना प्रतिवादी संख्या 01 से 05 व अप्रार्थी संख्या 07 से 09 के नाम राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज है, उक्त कथन मिथ्या व कपोल कल्पित है तथा प्रार्थीगण ने जो वंशावली प्रस्तुत की है उक्त उस वंशावली के अनुसार देवा उर्फ देवचंद अपने ससुराल घर–जमाई चले जाने के कारण से नाथिया पिता हीरा की भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 07 से 09 का ही हक व अधिकार है एवं उक्त भूमि में आज भी बदिया के वारिसान के साथ संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 अस्वीकार होकर धोखे से डिक्री प्राप्त कर जरिये नामान्तरकरण संख्या 742 दिनांक 18.06.2015 से अपने नाम करा लिया उक्त कथन विधि विरूद्ध है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि को काई हक व अधिकार नही है, प्रार्थीगण के पिता देवा उर्फ देवचंद अपने ससुराल जोखिया के वहा धर–जमाई बनकर रहा एवं नाथिया के समय से ही अपने परिवार से पृथक रहकर जीवनयापन करने लगा। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 अस्वीकार है। उपर्युक्त भूमि में प्रार्थीगण की काश्त नही रही है, अप्रार्थीगण संख्या 01 से 09 ही उपर्युक्त भूमि में काश्त करते है, प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का कब्जा नही है, इसलिये प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण संख्या 01 से 09 के साथ सह खातेदार घोषित कराने के पात्र नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र बाबत 212 आर.टी.एक्ट में काबिल खारिज के है।

प्रार्थीगण का उपर्युक्त भूमि में न स्वत्व है न अधिकार है न कब्जा है, इसलिए प्रार्थीगण किसी भी प्रकार का विभाजन कराने का पात्र नहीं है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विशेष कथन में बताया कि अप्रार्थीगण संख्या 07 से 09 की ओर से एक वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण मडिया, रतना, नाथु, केशु, रमेश, श्रीमती विठली के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया गया था। जो प्रकरण संख्या 02/12 दिनांक 19.05.2015 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा निर्णय व डिक्री पारित की गई। प्रार्थीगण का बिना किसी अधिकार के उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णय हो चुका है, ऐसी स्थिति में धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थना–पत्र काबिल खारिज के है।

विद्वान अधिवक्तागणों की बहस दिनांक 05.01.2021 को सुनी गई।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस में अपने कथन में बताया कि हमारा डिक्लेरेशन का सुट है जब तक डिक्री ना हो जाये तब तक रहन बेचान, बेदखल न करे, हस्तांतरण न करे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वंशावली दी है। देवा गोद चला गया था नाथीया के समय ही उसके कारण भूल आई तथा गोद स्थल पर नाथीया ने दो शादीया की कडवी व हाकर से, कडवी के थावरा, हाकर के देवा (ससुराल घर जवाई रहा) उपखण्ड अधिकारी न्यायालय बांसवाड़ा में प्रकरण संख्या 2/12 दिनांक 19.05.2012 को अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में थावरा का नाम दर्ज कराने वाद लगाया जो डिक्री हुआ व नाम जुडा।

उक्त पत्रावली का अवलोकन एवं विद्वान अधिवक्तागणों की बहस पर गहन मनन किया। तो पाया कि उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के दादा के समय से वादग्रस्त भूमि के रेकार्डेड संयुक्त खातेदार है। मूल वाद भी न्यायालय में दायर किया हुआ है। पूर्व में निर्णय न्यायालय हाजा द्वारा दिया गया है उसमें वादीगण पक्षकारान नही है। जमाबन्दी संवत में नामान्तरण संख्या 742 दिनांक 18.06.2015 का इन्द्राज डिक्री से एवं नामान्तरकरण संख्या 743 दिनांक 30.06.2015 का इन्द्राज विरासत से हुआ है। ऐसी स्थिति में मैं मेरिट एवं साक्ष्य के आधार पर निर्णय देना उचित समझता हूँ। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना प्रथम दृष्टया उचित होगा।

आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू प्राथीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया जाता है । प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत अंत तक के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा परित की जाती है कि वह वाद चलने के दौरान उपर्युक्त खसरा नम्बर के खेतों में अन्यत्र की किसी भी तरह से हस्तांतरण नहीं करे बेचान, मोर्गेज, रहन, दान, वसीयत नहीं करे और ना ही प्रार्थीगण को उक्त कृषि से बेदखल करे। पत्रावली मूल [illegible] के साथ संलग्न किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26–03–2021 को सुनाया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.06 17:52:02 IST
Reason: SelfAttested

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)